।।ओ३म्।।

आर्य विवाह ऐक्ट

(संक्षिप्त इतिहास और विस्तृत व्याख्या)

व्याख्याकार

माननीय श्री घनश्याम सिंह गुप्त

प्रकाशक

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा

भूमिका

आर्य समाज ने हमेशा जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई है। आर्य समाज ने ना केवल आवाज उठाई बल्कि जातिवाद के खिलाफ कार्य करने में जो बाधाएं आती थी उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक कदम भी उठाये जैसे- (आर्य मैरिज वेलिडेशन एक्ट 1937) पारित करवाया। उस समय यह बहुत ही क्रान्तिकारी कार्य था। इसी एक्ट के चलते हिन्दू धर्म के विभिन्न समुदाय/जातियों के मध्य होने वाले विवाहों को वैध माना जा सका।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् इस एक्ट को इसी रूप अंगिकार कर लिया गया। आज इस एक्ट और इसके इतिहास के सम्बन्ध में सामान्य जन को अधिक जानकारी नहीं है। हम चाहते हैं कि यह जानकारी सभी को मिले कि आर्य समाज मन्दिरों में किस एक्ट में विवाह किये जाते हैं। सार्वदेशिक सभा के प्रधन कै0 देवरत्न आर्य जी ने इसे पुनः प्रकाशित करने की प्रेरणा दी है। मैं उनका आभारी हूँ। सभी आर्य समाजों से हम अपेक्षा करते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर इसका सदुपयोग करें।

विनय आर्य

महामन्त्री, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा

आर्य विवाह ऐक्ट

संक्षिप्त इतिहास और विस्तृत व्याख्या

आर्य विवाह बिल की आवश्यकता क्यों हुई?

आर्यसमाज जन्म से नहीं अपितु गुणकर्मानुसार वर्ण व्यवस्था का पोषक है। उसके सदस्य सिद्धान्तानुकूल अन्तर्जातीय विवाह भी करते हैं। ऐसे विवाहों की संख्या सहस्रों तक पहुंच चुकी थी। कानून की दृष्टि से आर्यसमाजी उसी धर्मशास्त्र से शासित होते हैं जिसे 'हिन्दू लॉ' कहते हैं। इसके अनुसार साध ारणतया अन्तर्जातीय और अन्य धर्मों से शुद्ध किये हुओं के विवाह से जो सन्तान पैदा होती है वह दाय भाग (पैत्रिक सम्पत्ति) की अधिकारिणी नहीं होती थी। ऐसी कुछ बाधा आर्यसमाजियों के मार्ग में भी आई। इसलिए आवश्यक हुआ कि कानून बनाकर इन बाधाओं को दूर किया जाये।

इस कानून के निर्माणार्थ समय-समय पर विचार होता रहा और आर्य सम्मेलनों में प्रस्ताव भी पास हुए।

आर्य विवाह बिल का विषय कब प्रारम्भ हुआ?

इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुए 17 फरवरी 1925 को श्रीमद्दयानन्द जन्म शताब्दी (मथुरा) के अवसर पर आर्य

सम्मेलन की तीसरी बैठक में यह विषय श्री स्व० स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज की ओर से प्रस्तुत किया गया और इसके सम्बन्ध में निम्न प्रस्ताव स्वीकृत हुआ थाः-

"यह आर्य सम्मेलन निश्चित करता है कि शीघ्र ही लैजिस्लेटिव असेम्बली (केन्द्रीय धारा सभा) में विवाह बिल पेश कराया जाय जिससे आर्यसमाज के प्रचार में जो बाधाएं आ रही हैं, उनका निराकरण हो सके और जनता में गुण-कर्म और स्वभावानुसार विवाहादि संस्कारों का प्रसार हो सके।"

आर्य विवाह बिल

चौ० मुख्तारसिंह जी के द्वारा असेम्बली में प्रस्तुत

यह बिल सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के सुपुर्द किया गया जिसने इसको बहुत शीघ्र धारा सभा (असेम्बली) में प्रस्तुत कराने की चेष्टा की। धारा सभा का वायुमण्डल अच्छा देखकर सन् 1930 में उसे प्रस्तुत कराया गया। श्री चौ० मुख्तारसिंह जी उस समय धारा सभा के सदस्य थे। यह बिल प्रस्तुत किये जाने के लिए उनके सुपुर्द किया गया। बिल के प्रस्तुत होने से पूर्व सभा के आदेशानुसार बिल के पक्ष में आर्य जगत् और समाचार पत्रों में आन्दोलन हुआ और बहुत से समाजों ने बिल का समर्थन करते हुए प्रस्ताव पास करके भारत सरकार के पास भेजे। इन प्रस्तावों में बिल को शीघ्र ही सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने की भी प्रार्थना की गई।

20.1.1930 को श्री चौ० मुख्तारसिंह जी ने इस बिल को धारा सभा में प्रस्तुत किया और सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किये जाने का प्रस्ताव भी रखा। परन्तु सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द होने से पूर्व जनमत (public opinion) मालूम करने के लिए यह बिल प्रसारित किया गया। सभा ने और उसके आदेशानुसार समस्त समाजों ने पुनः भारत सरकार को लिखा कि यह बिल इसी असेम्बली के जीवन काल में कानून बना दिया जाये, परन्तु असहयोग आन्दोलन पुनः जारी होने पर कांग्रेस के टिकट पर जो असेम्बली में गये थे उन्हें कांग्रेस के आदेशानुसार असेम्बली छोड़ देनी पड़ी। इस प्रकार चौ० मुख्तारसिंह के असेम्बली से पृथक् होने के कारण उनके पेश किये हुए बिल का भी अन्त हो गया।

आर्य विवाह बिल श्री बा० घनश्यामसिंह जी गुप्त के द्वारा असेम्बली में प्रस्तुत

सौभाग्य से 1935 ई० में श्री बा० घनश्यामसिंह जी गुप्त उस समय आर्य प्रतिनिधि सभा मध्य प्रदेश के प्रधान थे असेम्बली के सदस्य होकर आए। सार्वदेशिक सभा ने उनसे इस बिल को पेश करने की प्रार्थना की। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक सभा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और निम्नलिखित बिल असेम्बली में प्रस्तुत कर दिया गया। पुनः पूर्ववत् इस बिल को सरकार से कानून बनवाने के लिए सार्वदेशिक सभा के आदेशानुसार समाचार पत्रों में आन्दोलन हुआ और हजारों समाजों ने प्रस्ताव पास करके भारत सरकार के पास भेजे।

बिल जो असेम्बली में पेश हुआ

आर्यसमाजियों में प्रचलित अन्तर्विवाहों को नियमानुकूल (जायज) मानने तथा उनके औचित्य विषयक शंकाओं के निवारण के लिए विधान।

(1) अतः यह उचित प्रतीत होता है कि आर्यसमाजियों के अन्तर्विवाहों को नियमानुसार (जायज) माना जाये और उनके औचित्य को असंदिग्ध बनाया जाये अतः नीचे लिखा विधान (कानून) बनाया जाये।

संक्षिप्त नाम और विस्तार

(1) इस विधान का नाम आर्य विवाह नियामक विधान (Arya Marriage Validation Act) 1935 होगा।

(2) यह समस्त ब्रिटिश भारत में उन सब विवाहों पर लागू होगा जो इस विधान के अनन्तर निर्णय के लिए आवें चाहें विवादास्पद विवाह इस विधान के निर्णय के पहले या पीछे हुआ हो।

परिभाषा

इस विधान के अनुसार आर्यसमाजी का अर्थ वह व्यक्ति है जोः-

(क) किसी भी आर्यसमाज का सदस्य है।

(ख) इस विधान के निर्माण के 5 वर्ष के भीतर या अपने विवाह के एक वर्ष के भीतर (जो भी समय पीछे समाप्त हो) अपने आर्यसमाजी होने की घोषणा या इसी प्रकार की घोषणा लेखबद्ध) करता है।

(ग) खंड (क) या (ख) में वर्णित व्यक्ति के कुटुम्ब का सदस्य या आश्रित सम्बन्धी।

(घ) खंड (ख) में वर्णित लेख की जब 1908 ई० को भारतीय रजिस्ट्रेशन विधान के अनुसार रजिस्ट्री हो चुकी है तो यह इस विषय का निर्णायक प्रमाण होगा कि वह आर्यसमाजी है और इसके विपरीत अन्य कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकेगा।

(च) इसके विरुद्ध कोई भी विधान (कानून) रूढ़ि या रिवाज के होते हुए भी आर्यसमाजियों का कोई भी विवाह इसलिए अनियमित (नाजायज) नहीं होगा और न कभी भी नाजायज हुआ माना जावेगा कि विवाह के पक्षकार (वर-वधू) हिन्दुओं की विभिन्न जाति या उपजाति वा विभिन्न धर्म के थे।

उद्‌देश्य और हेतु

यतः आर्यसमाजी, जो भारत की जनसंख्या का एक पर्याप्त भाग है, निश्चय पूर्वक विश्वास करते हैं कि जात-पात उनके धर्मग्रन्थों वेद और पवित्र शास्त्रों के अनुकूल नहीं हैं और यतः न्यायालयों में प्रचलित विधान के अनुसार भिन्न जातियों

या उपजातियों में उत्पन्न हुए पक्षकारों (वर-वधू) में होने वाले विवाह अवैध समझे जाते हैं और ऐसे विवाहों से उत्पन्न सन्तानों के अनियमित (नाजायज) उद्घोषित होने की आशंका है और यतः ऐसे विवाह बहु संख्या में हो चुके हैं और यदि प्रतिबन्ध न होता तो फिर (और) भी अधिक होते अतः ऐसे विधान की आवश्यकता है जो आर्यसमाजियों का सहायक हो अतः उपर्युक्त विधान प्रस्तुत किया जाता है।

- **घनश्याम सिंह गुप्त** एम०एल०ए०

इसके पश्चात् यत्न करने पर यह बिल सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। सिलेक्ट कमेटी में इस बिल का जो रूप था उसमें निम्न बातें थीं:-

(1) विस्तार की सीमा प्रायः मूल बिल की ही रखी गई थी वरन् उसको और भी विस्तृत कर दिया गया था।

(2) 'आर्यसमाजी' कौन है। इसका निर्णय ठीक उसी तरह न्यायालय पर छोड़ा गया था जिस तरह सिख, मुसलमान वा पारसी की दशा में होता है।

(3) विवाह के नियमित (जायज) होने वाली धारा लगभग मूल बिल की है रहने दी गई थी।

(4) दाय भाग में निम्न महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था:-
"इस ऐक्ट की धारा-2 की अविद्यमानता में जिस स्त्री पुरुष का विवाह अनियमित (नाजायज) होता उनकी और सन्तान की जायदाद का दायाद इण्डियन सक्सेशन

ऐक्ट की धाराओं के अनुसार होगा।"

प्रस्तावित बिल में दायाद की व्यवस्था हिन्दुओं के वैयक्तिक (Personal Law) कानून के अनुसार रखी गई थी परन्तु सिलेक्ट कमेटी ने यह व्यवस्था इण्डियन सक्शेसन ऐक्ट के अनुसार रखी।

सिलेक्ट कमेटी का यह संशोधन बिल के मूलोद्देश्य को नष्ट करने वाला था, अतएव आर्यसमाजियों को किस प्रकार ग्राह्य हो सकता था? आर्यसमाज ने इसका घोर विरोध किया और अनेक प्रस्ताव पास करके भारत-सरकार के पास भेजे गये। सिलेक्ट कमेटी के माननीय सदस्य श्री डॉ० भगवानदास जी, डा० एन०बी० खरे, श्री घनश्याम सिंह गुप्त और श्री एम०सी० राजा ने अपने संयुक्त मतभेद सूचक नोट में जो सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के साथ संयोजित था 'इण्डियन सक्सेशन ऐक्ट' के विरोध में निम्न मुख्य बातें प्रस्तुत कीं:-

(1) बिल का मुख्योद्देश्य आर्यसमाजियों की आवश्यकता को पूरा करना है अतः दाय भाग विषयक धारा सं० 4 इस प्रकार बननी चाहिए जिससे आर्यसमाज के भावों का सम्मान हो सके। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि समस्त आर्य संसार पवित्र शास्त्रों के स्थान में जिनमें उसका विश्वास है अपने ऊपर इण्डियन सक्सेशन ऐक्ट को लागू होने का विरोध करेगा। उन पक्षों की जायदाद के विषय में जिनके लाभ के लिए यह बिल प्रस्तुत किया गया है, उपर्युक्त ऐक्ट को लागू करना उनको उससे वंचित रखना है जिसे आर्यजगत् सामूहिक रूप से चाहता

और देर से मांग कर रहा है। यदि इस प्रकार के मामलों में 'इण्डियन सक्सेशन ऐक्ट' ही लागू होना हो तो सचमुच इस बिल की आवश्यकता ही नहीं होगी क्योंकि वर्तमान 'स्पेशल विवाह ऐक्ट' में ही यह मामले आ जाएंगे।

(2) यह नहीं भुला देना चाहिए कि आर्यसमाजी वेदों में, पवित्र शास्त्रों में वर्णाश्रम धर्म में आस्था रखते हैं। रूढ़िवादी हिन्दुओं से उनका भेद केवल इतना ही है कि वे केवल जन्म से वर्ण नहीं मानते। वे गुण-कर्मानुसार वर्ण में विश्वास रखते हैं। (अर्थात् धन्धे या पेशे से) जैसा कि आर्यसमाज के प्रवर्त्तक ऋषि दयानन्द सरस्वती ने प्रतिपादन किया है। उन मामलों में जहां पवित्र शास्त्र लागू होते हैं उन्हें 'इण्डियन सक्सेशन ऐक्ट' का आश्रय लेने के लिए कहना, उनको अपने धर्म का परित्याग करने के लिए कहने से सदृश है।

(3) अतएव हम अनुरोध करेंगे कि साधारणतया पवित्र शास्त्रों को लागू किया जाय और कतिपय असाधारण मामलों में 'इण्डियन सक्सेशन ऐक्ट' की शरण ली जाय।

यदि विवाह से पूर्व पति हिन्दू था तो दाय भाग के लिए हिन्दुओं का वैयक्तिक कानून लागू होगा और अन्य मामलों में इण्डियन सक्सेशन ऐक्ट लागू होगा।

सिलेक्ट कमेटी की बैठक में श्रीयुत् डॉ० भगवानदास जी ने उपर्युक्त आशय का संशोधन प्रस्तुत किया था।

श्रीयुत् घनश्यामसिंह जी ने अपना एक और नोट निम्न

प्रकार लिख कर जोड़ा था:-

आर्यसमाजी की परिभाषा निकाल देना अच्छा होगा, इस विषय में मैं सुस्पष्ट नहीं हूँ। मूल बिल में दी हुई परिभाषा सब व्यावहारिक दृष्टि से ठीक है अतः उसको रहने दिया जाय। धारा सं0 4 के परिवर्तनों के सम्बन्ध में केवल समझौते के रूप में, मैं डॉ0 भगवानदास जी के संशोधन को मान सकता हूँ। फिर भी मैं अनुरोध करूंगा कि धारा सं 04 जिस रूप में बिल में प्रस्तुत की गई है वही रहने दी जाय।

"यह आर्यसमाजियों की जिनके लिए यह बिल है भावनाओं के अनुकूल है। एक स्वर से आर्यसमाजी इसका समर्थन करते हैं।"

22 सितम्बर 1936 ई0 केन्द्रीय धारा सभा के शिमला अधिवेशन में सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पर खूब बहस हुई। इस विवाद के बाद भी कोई अन्तिम निर्णय न हुआ और बिल देहली सेशन के लिए छोड़ दिया गया। देहली सेशन के समय एक कठिनाई उपस्थित हुई। प्रान्तीय धारा सभाओं के निर्वाचन हो चुके थे। बिल के प्रस्तोता श्री खरे महोदय (वैलट मैं यह बिल इन्हीं के नाम में आया था) को अपनी धारा सभा में उपस्थित होना आवश्यक था अतः वे केन्द्रीय धारा सभा में आने में असमर्थ थे। उनकी अनुपस्थिति में इस बिल की हत्या अवश्यंभावी थी। परन्तु सरकार, केन्द्रीय धारा सभा की कांग्रेस पार्टी के नेता श्री भूलाभाई देसाई तथा सरदार संतसिंह की कृपा से बिल पर विचार का अवसर मिल गया। श्री सरदार महोदय ने अपने

बिल के लिए नियत गैर सरकारी दिन को इस बिल के विचार के लिए देने की स्वीकृति देकर अपनी उदारता का परिचय दिया। अन्त में 26 मार्च 1937 को यह बिल कानून बन गया।

इस कानून में एक बड़ी भारी त्रुटि यह बतलाई जाती है कि इसमें एक पत्नीवाद का सिद्धान्त न होने से स्त्रियों के लिए यह कानून अत्याचार सिद्ध होगा। इस विषय में कानून के बड़े-बड़े पंडितों की सम्मति यह है कि यह कानून 'हिन्दू लॉ' का संशोधन नहीं करता है। यदि इसमें यह व्यवस्था रखी गयी तो बहुत सी उलझनें उत्पन्न होने की आशंका है। अतः यह विषय अभी लिया नहीं गया। परन्तु अनुभव ने यह बतलाया है कि इस कानून में एक पत्नीवाद का सिद्धान्त अवश्य रखा जाना चाहिए।

इस समय इस ऐक्ट की 2 अंग्रेजी व्याख्याएं उपलब्ध हैं। एक तो बिल के प्रस्तोता श्री माननीय घनश्याम सिंह जी कृत और दूसरी श्री सी०एल० माथुर (रीडर ला० कालेज, लाहौर) कृत ये दोनों ही व्याख्याएं अपनी दृष्टि से उत्तम और विस्तृत हैं। पहली पुस्तक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा बलिदान भवन, दिल्ली और शारदा मन्दिर बुक डिपो, नई सड़क, देहली और दूसरी पुस्तक यूनिवर्सिटी बुक एजेन्सी लॉ बुक सेलर्स कचहरी रोड, लाहौर से प्राप्त है। इन दोनों से इस कानून के विषय में पूरी-पूरी जानकारी हो सकती है। श्री माननीय घनश्याम सिंह जी कृत अंग्रेजी व्याख्या का भाषानुवाद आगे के पृष्ठों में दिया गया है।

- रघुनाथप्रसाद पाठक

Arya Marriage Validation Act

No 19 of 1937.

(Finally Passed by both the Houses and sanctioned by His Excellency the Governer Generel)

To recognise and remove doubts as to the validity of inter-marriages current among Arya Samajists,

Whereas it is expedient of recognise and place beyond doubt the validity of inter-marriages of a class of Hindus known as Arya Samajists; it is hereby enacted as follows :-

Short Title and Extent.

1. (i) This Act may be called the Arya Marriage Validation Act.1937.

(ii) It extends to the whole of British India including British Baluchistan and the Santhal Parganas, and applies also to all Inaian subjects, of His Majesty within other parts of India, and to all Indian subjects of His Majesty without and beyond British India.

Marriages between Arya Samajists not to be invalid.

2. Notwithstanding any provision of Hindu law, usage or custom to the contrary, no marriage contracted whether before or after the commencement of this Act between two persons being at the time of the marriage Arya Samajists shall be invalid or shall be deemed ever to have been invalid by reason only of the fact that the parties at any time belonged to different caste or different sub-castes of Hindus or that either or both of the parties at any time before the marriage belonged to a religion other than Hinduism.

आर्य विवाह कानून नं० 19 सन् 1937 ई०

(यह कानून असेम्बली तथा कौंसिल आफ स्टेट में अन्तिम रूप से पास हो चुका है और गवर्नर जनरल द्वारा स्वीकृति भी हो चुकी है।)

आर्यसमाजियों में प्रचलित अन्तर्जातीय विवाहों का जायज होना स्वीकार करने और तत्सम्बन्धी शंकाओं को दूर करने के लिए।

चूँकि हिन्दुओं के आर्यसमाजी नामक वर्ग के अन्तर्जातीय विवाह का जायज होना स्वीकार करने और तत्सम्बन्धी शंकाओं को दूर न करने की जरूरत है इसलिए इसके जरिए नीचे लिखे मुताबिक कानून बनाया जाता है:-

छोटा नाम और विस्तार

1- (क) यह कानून 'आर्यविवाह जायज बनाने वाला ऐक्ट सन् 1937' कहलायेगा।

(ख) यह (ऐक्ट) तमाम ब्रिटिश हिन्दुस्तान में जिसमें ब्रिटिश बलूचिस्तान और संथाल परगने भी शामिल हैं, लागू होगा और हिन्दुस्तान के बाहर और उस पार की समस्त हिन्दुस्तानी प्रजा को भी लागू होगा।

आर्यसमाजियों का विवाह नाजायज नहीं होगा

2- बावजूद हिन्दू रीति या रिवाज के किसी विरुद्ध विधान के (हिन्दू कानून या रीति-रिवाज में कोई विधान इसके विरुद्ध रहते हुए भी) विवाह के समय आर्यसमाजी कहने वाले व्यक्तियों के बीच का कोई भी विवाह चाहे वह विवाह सम्बन्ध इस ऐक्ट के लागू होने के पूर्व हुआ हो या तत्पश्चात् हुआ हो, केवल इसी बात के कारण कि वे लोग किसी समय हिन्दू समाज के भिन्न-भिन्न जाति या भिन्न-भिन्न उपजाति के थे, या कि उनमें से कोई एक या दोनों ही विवाह के पूर्व किसी समय हिन्दू धर्म के सिवाय किसी अन्य धर्म के थे, नाजायज नहीं होगा या कभी भी नाजायज था (रहा हो) ऐसा नहीं माना जावेगा।

प्राक्कथन

आर्य विवाह ऐक्ट पर एक पुस्तक लिखने के लिए कुछ मित्रों का मुझसे आग्रह था। ऐसे कार्य के लिए मेरे पास समय तो नहीं था। परन्तु मैं उस मांग को साफ इनकार भी नहीं कर सकता था। रेलयात्रा में खाली समय जो बच सकता था उसी का यह छोटी सी पुस्तक परिणाम है। अतः कई अंशों में इसका दोषयुक्त होना अनिवार्य है। हिन्दुओं या आर्यसमाजियों के विवाह सम्बन्धी (कानूनों) पर ग्रन्थ तैयार करने का उद्देश्य कभी नहीं रहा है। इसका उद्देश्य बहुत छोटा है। यदि इस पुस्तिका से आर्य विवाह ऐक्ट के (Implications) गर्भस्थल आशयों का जनता में थोड़ा भी प्रसार होवे तो मुझे पूर्ण सन्तोष हो जावेगा।

- घनश्याम सिंह गुप्त

प्रारम्भिक

इस प्रकार के विधान (कानून) के लिए आर्यसमाजियों की मांग एक विस्तृत इतिहास रखती है जिस पर यहां विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इस छोटी सी पुस्तिका में जिसका उद्देश्य इस कानून की कानूनी व्याख्या करना मात्रा है, उन अवस्थाओं और कठिनाइयों का वर्णन अप्रासंगिक ही है, जिनमें से कानूनी रूप धारण करने से पूर्व यह बिल गुजरा है। इस कानून के इतिहास का दिग्दर्शन कराना एक पृथक् पुस्तक का ही कार्य हो सकता है, किन्तु जिज्ञासु जनता विशेष कर

आर्यसमाजियों के लिए यह कहना आवश्यक है कि इस कानून को पास कराने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और ऐसे अवसर भी कई आए थे जब हमारे समस्त प्रयत्न निष्फल दिखाई पड़ने लग गये थे।

यद्यपि यह कानून छोटा सा है परन्तु यह बहुत से दूरदर्शी सुपरिणामों से परिपूर्ण है। यदि कम से कम प्रारम्भ में इसका बुद्धिमत्ता से प्रयोग हुआ तो न केवल आर्यसमाज को वरन् समस्त हिन्दू जाति को सुसंगठित और सुदृढ़ करने के इसमें अंकुर विद्यमान हैं। इस कानून के पास होने से पूर्व कुछ थोड़े साहसी आर्य ही अन्तर्जातीय विवाह करते थे परन्तु अब आशा है बहुत से व्यक्ति इसका आश्रय लेंगे।

कानून का उद्देश्य

"आर्यसमाजियों में प्रचलित अन्तर्विवाहों के कानून सम्मत होने के सन्देहों का निवारण और इनको कानून सम्मत करना इस कानून का उद्देश्य है।"

ब्रिटिश भारत की अदालतों में की गई व्याख्या के अनुसार 'हिन्दू लॉ' यह आवश्यक ठहराता है कि वर और वधू एक ही जाति के होने चाहिए। पवित्र शास्त्रों में वर्ण शब्द का प्रयोग है 'जाति' का नहीं। ब्रिटिश भारतीय अदालतों में 'वर्ण' शब्द का अर्थ 'जाति' किया गया है।

कारण यह प्रतीत होता है कि पहले-पहल ब्रिटिश अदालतों में (1) 'हिन्दू और मुस्लिम लॉ' की समस्याओं पर जजों को परामर्श देने के लिए विद्वान् हिन्दू पंडित और मौलवी नियुक्त हुआ करते थे। कुछ समय तक उनका परामर्श पूर्ण रूप से माना जाता रहा है। इस प्रकार के मामलों में स्वभावतया पुराने पंडित उस समय की प्रचलित प्रथाओं के अनुसार ही शास्त्रों की व्याख्या किया करते थे। इस प्रकार धर्मशास्त्रों में प्रयुक्त 'वर्ण' शब्द का अर्थ जन्म की जाति माना जाने लगा। ऋषि दयानन्द के, धार्मिक और सामाजिक सुधारक नहीं वरन् कहना चाहिए कि पुनरुद्धारक के रूप में आगमन से धर्मशास्त्रों की इस व्याख्या को बड़ा भारी धक्का लगा।

यद्यपि ऐसे समाज-सुधारक भी हुए जिनका मत था कि विवाह किसी व्यक्ति की अपनी जाति तक ही परिमित रहना आवश्यक नहीं, परन्तु उन्होंने इसे समाज को सुधारने का उपाय मान कर ही इसका प्रचार किया न कि पुनरुत्थान के रूप में। उन्होंने पवित्र शास्त्रों की निन्दा की, क्योंकि उनकी सम्मति में उनमें ही जन्म गत जाति के विवाहों का विधान था। उन्होंने समाज को शास्त्रों से विमुख करने की चेष्टा की।

अतः 'ब्रह्मों विवाह ऐक्ट' या 'स्पेशल मैरिज ऐक्ट' जैसी युक्तियों का आश्रय ग्रहण करना पड़ा। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने शास्त्रों का खण्डन नहीं किया वरन् उनकी वास्तविक व्याख्या की। उन्होंने अपने अनुयायियों को शास्त्रों से विमुख होने की प्रेरणा नहीं की, परन्तु उनके वास्तविक भावों और अर्थो का अनुकरण करने का उपदेश किया। इस प्रकार यह सचाई से कहा जा सकता है कि 'वर्ण' शब्द का अर्थ 'जाति' लगाए जाने के विरुद्ध सबसे पहला आघात ऋषि दयानन्द ने किया। उनके विचार निस्संदेह बहुत फैले। विवाह जन्म की जाति या उपजाति तक ही सीमित रहना चाहिए इस बात की शुद्धता में, बाद की सम्मतियों ने बहुत सन्देह दर्शाया है। प्रीवीकौंसिल के अभी हाल के एक निर्णय में स्व0 माननीय जस्टिस शादीलाल ने व्यवस्था दी थी कि उपजातियों का विवाह कानून विरुद्ध नहीं है। (गोपी कृष्ण कसौधन बनाम मुसम्मात जग्गो और अन्य। इण्डियन अपील जिल्द 63,1935-1936 पृष्ठ 95 एल.एल.आर.इलाहाबाद)

यद्यपि पवित्र हिन्दू शास्त्रों में यह विधान नहीं है कि जन्मगत जातियों में ही विवाह सीमित रहें, तथापि अदालतों में यह प्रश्न संदेह से रहित न था। इसी संदेह के निवारणार्थ आर्य विवाह कानून बनाया गया है।

आर्य लोगों का अन्तर्जातीय विवाहों में विश्वास केवल सैद्धान्तिक विवाद मात्र नहीं वरन् उन्होंने क्रियात्मक प्रमाण भी दिया है। उनमें कई अन्तर्जातीय विवाह भी हुए और अब तक बहुत से विवाह हो चुके हैं। अतः इस प्रकार विवाह आर्यों में प्रचलित हैं।

सिलेक्ट कमेटी से निकला हुआ बिल वह न था जो धारा सभा (असेम्बली) में प्रस्तुत किया गया था। यह दो मुख्य बातों में भिन्न था। एक तो सिलेक्ट कमेटी ने मूल बिल में दी हुई 'आर्यसमाजी' की व्याख्या निकाल दी थी। दूसरे उत्तराधिकार सम्बन्धी बिल की धारा-3 में पवित्र शास्त्रों की योजना के स्थान में 'इण्डियन सक्सेशन ऐक्ट' की योजना रख दी थी।

दायभाग के विषय में मूल बिल में निम्न विधान था:-

"इस कानून की धारा 3 में जिन अन्तर्विवाहों का उल्लेख है, वे सब उत्तराधिकार के लिए द्विजों की एक ही जाति के स्त्री-पुरुषों में हुए विवाह समझे जायेंगे।"

सिलेक्ट कमेटी से आए हुए बिल में निम्न बात थी:-

"जिन व्यक्तियों का विवाह धारा-2 की अविद्यमानता में अवैध 'नाजायज' होता, उनकी और उनकी सन्तान की सम्पत्ति का उत्तराधिकार 'दायभाग' 'इडियन सक्सेशन ऐक्ट' की धाराओं के अनुसार होगा।"

आर्यसमाजी की परिभाषा

'आर्यसमाजी' की परिभाषा करना, निस्संदेह कठिन था। यद्यपि इस शब्द की परिभाषा के विविध यत्न हुए तथापि यह मालूम हुआ कि उसकी ठीक-ठीक परिभाषा का किया जाना अत्यन्त कठिन कार्य है। धारा सभा में कई संशोधनों का नोटिस दिया गया था। उनमें से कुछ पर विचार भी हुआ परन्तु वे सब रद्द हुए। जैसे 'हिन्दू' या 'मुसलमान' की परिभाषा करना कठिन था अतः परिभाषा विषयक धारा निकाल दी गई, और अब मैं समझता हूँ कि उसका निकालना बुद्धिमत्ता थी।

यद्यपि हिन्दू, मुसलमान या आर्यसमाजी की परिभाषा करना तो कठिन है, फिर भी अदालत में यह प्रश्न उठने पर कि कौन क्या है, यह मालूम करना कठिन नहीं।

इण्डियन सक्सेशन ऐक्ट का लागू किया जाना

सिलेक्ट कमेटी द्वारा किया हुआ दूसरा बड़ा संशोधन 'इण्डियन सक्सेशन ऐक्ट' का लागू किया जाना था। आर्यसमाजियों को यह अग्राह्य और अमान्य था। हमारे द्वारा प्रस्तावित धारा के समर्थन में और धारा के विरोध में सरकार को बहुत से आवेदन पत्र भेजे गए। एक भी आर्यसमाजी सक्सेशन ऐक्ट के लागू करने के पक्ष में न था। अतः सिलेक्ट कमेटी वाली वह धारा निकाल दी गई।

अब प्रश्न यह होगा कि इस प्रकार के मामलों में उत्तराधिकार का कौन सा कानून लागू होगा ? यद्यपि यह प्रायः निश्चित ही था कि उन पर 'हिन्दू लॉ' (कानून) लागू होगा, फिर भी यह उचित जान पड़ा कि संदेह की अणुमात्र गुंजाइश नहीं रहने देनी चाहिए और इस उद्देश्य से परिभाषा की धारा में यह बात जोड़ दी गई।

अब परिभाषा का निम्न प्रकार रूप है।

''चूंकि हिन्दुओं के आर्यसमाजी नामक समुदाय के विवाहों का वैधानिक जायज माना जाना और उनके जायज होने की शंकाओं को दूर करना उचित है इसलिए यह निम्नलिखित विधान बनाया जाता है:-''

पटना हाईकोर्ट के एक प्रकाशित मुकदमे के अनुसार (श्रीमती सूरज बनाम अत्तार) यह बात कही गई थी कि 'आर्यसमाजी' हिन्दू नहीं है अतः उन पर हिन्दू लॉ लागू नहीं होता। निःसंदेह जजों ने यह आपत्ति स्वीकार नहीं की। 'हिन्दुओं का एक वर्ग', ये शब्द इस धारा की परिभाषा में जुड़ जाने से उपर्युक्त प्रकार का कहना भी भविष्य में असंभव हो जायेगा।

स्वल्प नाम और विस्तार

1. (क) यह विधान आर्य विवाह वैधानिक ऐक्ट सन् 1937 कहलायेगा।

इस उपधारा का आर्य और धारा-2 का आर्यसमाजी शब्द एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुए हैं। वस्तुतः ये दोनों पर्याय वाची शब्द हैं। आर्यसमाज शब्द का शाब्दिक अर्थ आर्यों का समाज है। और इस समाज वाले को आर्यसमाजी कहते हैं। भाषा और कानून दोनों ही दृष्टियों से इन दोनों शब्दों से एक ही व्यक्ति का बोध होता है।

विस्तार और क्षेत्र

(ख) ब्रिटिश बिलोचिस्तान और संथाल परगना सहित समस्त ब्रिटिश भारतवर्ष में और भारतवर्ष के अन्य भागों में सम्राट् की समस्त प्रजा पर और ब्रिटिश भारतवर्ष के बाहर तथा उस पार (समुद्र पार) की समस्त भारतीय प्रजा पर यह (ऐक्ट) लागू होना।

यह कानून समस्त ब्रिटिश भारत में लागू है। ब्रिटिश भारत का कोई भी स्थान नहीं छूटता। इसके अतिरिक्त इसका क्षेत्र और भी विस्तृत है। भारतवर्ष के अन्य भागों में रहने वाली सम्राट् की समस्त प्रजा पर भी यह कानून लागू होता है अर्थात् भारतीय रियासतों और ब्रिटिश भारत के बाहर रहने वाली सम्राट् की समस्त भारतीय प्रजा पर भी।

निम्न लेख से स्थिति अधिक सुस्पष्ट हो जावेगीः-

(क) यह कानून समस्त ब्रिटिश भारत के लिए है जिसमें ब्रिटिश बलोचिस्तान और संथाल के परगने भी शामिल हैं। ऐक्ट की धारा-2 में निहित विवाह चाहे ब्रिटिश प्रजा और देशी राज्यों की प्रजा के मध्य हो या किसी विदेशी प्रजा के मध्य हो, वह कानून सम्मत होगा यदि वह विवाह ब्रिटिश भारत के किसी भी स्थान में हुआ हो। इस अवस्था में वर-वधू में से किसी एक का अथवा दोनों का ब्रिटिश भारत की प्रजा होना आवश्यक नहीं है।

(ब) भारत के दूसरे भागों में निवास करने वाली सम्राट् की प्रजा पर भी यह कानून लागू होता है अतः भारत के किसी देशी राज्य अथवा स्वतन्त्र राज्य में होने वाला विवाह भी वैध होगा बशर्ते कि वर और वधू दोनों ब्रिटिश प्रजा हों भारतीय ब्रिटिश प्रजा या अभारतीय ब्रिटिश प्रजा।

(स) यदि कोई विवाह संसार के अन्य भाग में होता है उदाहरणार्थ यूरोप या अमेरिका में तब भी यह कानून लागू होगा बशर्ते कि वर और वधू दोनों सम्राट् की भारतीय प्रजा हों अभारतीय प्रजा पर इस दशा में लागू नहीं होगा।

आर्यसमाजियों का विवाह अवैध न होगा

(धारा- 2)

''कोई भी हिन्दू लॉ का विधान रूढ़ि या रिवाज प्रतिकूल होते हुए भी विवाह के समय आर्यसमाजी दो व्यक्तियों के मध्य कोई विवाह चाहे वह इस ऐक्ट के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात् हुआ हो नाजायज नहीं होगा और न कभी भी अवैध रहा हुआ माना जायेगा केवल इस तथ्य के कारण से कि वे किसी समय हिन्दुओं की विभिन्न जाति या उपजाति के थे या कि उनमें से एक या दोनों विवाह से पूर्व किसी समय हिन्दू धर्म से विभिन्न धर्म के थे।

इस ऐक्ट की यही मुख्य धारा है और इस पर ध्यानपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

(1) कोई भी हिन्दू लॉ का विधान रूढ़ि या रिवाज प्रतिकूल होते हुए भी-

यह कानून हिन्दू लॉ का संशोधन करता है। अन्य किसी लॉ का नहीं। क्योंकि ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। यह कुछ रीति-रिवाजों को भी सुधारता है। हिन्दू लॉ की व्याख्या और कुछ रीति-रिवाज भी अन्तर्विवाहों में बाधक हैं। यह धारा उन सबको थोथा करती है। अब कोई रीतिरिवाज अथवा हिन्दू लॉ की कोई धारा आर्यसमाजियों के पारस्परिक अन्तर्विवाहों को निषिद्ध नहीं कर सकती।

यदि कोई विवाह किसी दूसरे लॉ का उल्लंघन करता है तो उसकी रक्षा यह कानून नहीं करेगा। उदाहरणार्थ यदि कोई इंडियन पीनल कोड (भारतीय दण्ड विधान) की धारा के विरुद्ध बहु विवाह करता हो, परन्तु जहाँ एक धर्म छोड़ कर दूसरा धर्म अंगीकार कर लेने मात्र से विवाह विच्छेद होता हो या जहाँ कहीं दूसरे कारणों से पूर्व विवाह का विच्छेद हो गया हो वहाँ बाद में होने वाला बहु विवाह नहीं समझा जायेगा।

(2) चाहे विवाह इस ऐक्ट के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात् हुआ हो

इस कानून का पूर्ववर्ती प्रभाव भी है अर्थात् इस कानून के बनने से पहले के विवाहों को भी यह कानून जायज करता है। बाद के विवाहों को भी यह कानून जायज करता है। बाद के विवाहों को तो यह जायज बनाता ही है। यह कानून 14-4-37 को अमल में आया जब कि गवर्नर जनरल ने अपनी स्वीकृति अंकित की थी। इस तारीख के बाद ही समस्त शादियाँ चाहे पहले या बाद में हुई हों जायज होंगी। दूसरे शब्दों में इस प्रकार के विवाहों के विषय की समस्त शंकाओं का प्रतिकार इस ऐक्ट ने कर दिया।

(3) विवाह

विवाह का अर्थ क्या है ? वैध विवाह के लिए किन-किन उपायों और संस्कारों की आवश्यकता है ? ये सब प्रश्न इस कानून के क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते हैं। यह स्मरण रहे कि

यह कानून आर्यसमाजियों का विवाह सम्बन्धी कानून नहीं है।

आर्य विवाह बिल का यह उद्देश्य कभी भी न था। इस बिल का सारा उद्देश्य केवल इतना ही था कि आर्यसमाजियों के अन्तर्जातीय और शुद्धि-विवाहों के जायज होने के विषय में शंकाओं की निवृत्ति करें, और वर्तमान कानून से इस उद्देश्य की पूर्ति पूर्णतया हो जाती है। यदि विवाह विषयक पूर्ण लॉ बनाए जाने का उद्देश्य होता तो बहुत सी और-2 धाराएं भी होतीं। केवल इस प्रकार का उद्देश्य ही नहीं था प्रत्युत यदि इस दिशा में आगे बढ़ने का यत्न किया जाता तो वह व्यर्थ और हानिकारक होता।

(4) विवाह के समय आर्यसमाजी दो व्यक्तियों के मध्य कोई विवाह

विवाह के जायज होने के लिए, वर और वधू दोनों का विवाह के समय आर्यसमाजी होना आवश्यक है। यदि विवाह के समय दोनों ही आर्यसमाजी न होंगे तो उनका विवाह जायज न माना जायेगा। विवाह के समय वर और वधू दोनों को आवश्यक रूप से आर्यसमाजी होना चाहिए। विवाह के पहले किसी निश्चित अवधि तक उनका आर्यसमाजी रहना आवश्यक नहीं। कोई पुरुष वा स्त्री अथवा दोनों शुद्धि द्वारा या अन्य प्रकार से आर्यसमाजी बन सकते हैं और तत्काल बाद जायज विवाह कर सकते हैं। पर यदि पहले विवाह होता है और उसके पश्चात् आर्यसमाजी होते हैं तो इस कानून के द्वारा वह विवाह जायज न बन सकेगा। उदाहरण के लिए कोई हिन्दू या

आर्यसमाजी पुरुष या स्त्री मान लो किसी मुस्लिम स्त्री या पुरुष से विवाह करता है और विवाह के पश्चात् वह स्त्री वा पुरुष किसी समय आर्यसमाजी बन जाता है तो यह विवाह जायज न बन सकेगा। पर यदि आर्यसमाजी बनना पहिले हुआ और विवाह पीछे तो वह विवाह बिलकुल जायज होगा परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि जो विवाह अन्य किसी विधान से जायज हो वह आर्यसमाजी बनने से नाजायज हो जाता है।

उदाहरण के लिए एक मुसलमान या ईसाई दम्पति है जिनका विवाह मुस्लिम या ईसाई कानून के अनुसार जायज तौर पर हुआ है। यदि ये दोनों (स्त्री-पुरुष) आर्यसमाज में दीक्षित हो जायें तो वे दोनों शुद्धि के पश्चात् भी ठीक दम्पति बने रहेंगे और उन्हें आर्यसामाजिक पद्धति के अनुसार फिर दुबारा विवाह करने की आवश्यकता बिलकुल भी न होगी।

ऐक्ट से लाभ उठाने के लिए वर और वधू विवाह के समय आवश्यक रूपेण आर्यसमाजी होने चाहिए। अब प्रश्न होता है कि आर्यसमाजी कौन है? आर्यसमाजी की परिभाषा नियत करने के लिए बहुत से प्रयत्न हुए। परिशिष्ट में आर्यसमाजी की परिभाषा मिलेगी जैसी कि मूल बिल में लिखी गयी थी। इस परिभाषा के बहुत से संशोधन भी प्रस्तुत किये गये थे परन्तु इन सबसे केवल इस शब्द की परिभाषा की कठिनता ही नहीं अपितु आर्यसमाजी कौन है इसकी मोटी रूपरेखा देने की कठिनता भी व्यक्त होती है। यह कठिनता केवल आर्यसमाजियों के लिए ही नहीं अन्यों के लिए भी है।

हिन्दू कौन है? मुसलमान कौन है? हिन्दू मुसलमान अथवा ईसाई की ठीक-ठीक और कानूनी परिभाषा किस प्रकार करोगे? ऐसा करना कठिन है? परन्तु किसी खास मामले में यह कहना नहीं कि अमुक व्यक्ति हिन्दू मुसलमान या ईसाई है या नहीं?

मोटे तौर पर जो अपने को हिन्दू कहे वह हिन्दू और जो मुसलमान कहे वह मुसलमान और यदि खास मामले में यह कहने में कठिनाई उपस्थित हो सकती हो कि अमुक आदमी खास समय पर हिन्दू मुसलमान वा ईसाई था व नहीं तो आर्यसमाजियों के सम्बन्ध में भी यही बात है। इसमें सन्देह नहीं कि आर्यसमाजी की संतान आर्यसमाजी समझी जायेगी। आर्यसमाजी के लिए आवश्यक नहीं कि उसका नाम किसी आर्यसमाज के रजिस्टर में अंकित रहा हो।

यह निस्सन्देह ठीक है कि यदि कोई आर्यसमाज का नियमित सदस्य है तो यह उसके आर्यसमाजी होने का उत्तम प्रमाण होगा, परन्तु उसके आर्यसमाजी होने के लिए यह आवश्यक नहीं है।

समस्त धर्मों के असंख्य व्यक्ति होते हैं जिनके नाम उनके समाजों के रजिस्टरों में अंकित नहीं होते। आर्यसमाज के सम्बन्ध में भी यही बात है। बहुत से व्यक्ति हैं, जिनका नाम आर्यसमाज के रजिस्टरों में अंकित नहीं हैं फिर भी वे और उनके बच्चे अच्छे भले आर्यसमाजी हैं वस्तुतः इन सब कठिनाइयों से बचने के लिए ही परिभाषा नहीं रखी गई।

इसमें एक और लाभ है। आर्यसमाज के सिद्धान्तों पर विश्वास रखने वाले बहुत से हिन्दू भी जो अन्तर्जातीय विवाह करना चाहेंगे और जो किसी आर्यसमाज के सदस्य नहीं हैं वे विवाह से पूर्व अपने को आर्यसमाजी घोषित करके ऐक्ट से लाभ उठा सकेंगे। प्रमाण और रिकार्ड के लिए आर्यसमाजों को ऐसे विवाहों का एक रजिस्टर खोलना कदाचित आवश्यक हो जिसमें इस प्रकार के समस्त विवाह अंकित हुआ करें। यह केवल प्रमाण के लिए वांछनीय है। विवाह के कानूनी रूप से जायज होने के लिए इसकी जरा भी आवश्यकता नहीं है। कानून को न तो इसकी आवश्यकता है और न कानून इसकी कल्पना ही करता है। कौन व्यक्ति आर्यसमाजी है ? अब इस प्रश्न का उत्तर स्वतः मिल जाता है। कोई भी व्यक्ति जो इस कानून के उद्देश्य के लिए अपने को आर्यसमाजी उद्घोषित करता है वह आर्यसमाजी है। संदिग्ध मामलों में यह सदैव अच्छा होगा कि विवाह से पूर्व विवाह करने वाले पुरुष और स्त्री इस बात की स्पष्ट और पब्लिक में यह घोषणा कर दें कि हम आर्यसमाजी हैं।

ऐसी घोषणा को स्थिर बनाने के लिए यह ठीक होगा कि वह लिखित हो और किसी दस्तावेज अथवा कार्यवाही पुस्तक में लिख दी जाये। क्योंकि विवाह के जायज होने का प्रश्न विवाह के शीघ्र पश्चात् ही नहीं उठता है। प्रायः विवाह के बहुत वर्षों के पश्चात् अदालतों के सामने ऐसे मामले आते हैं जब यह प्रश्न अदालत के सामने आता है तब आम तौर पर कोई सबूत संभवतः सुस्पष्ट सबूत आवश्यक होता है। संदिग्ध मामलों में मौखिक साक्षी कदाचित पर्याप्त न हो। अतः किसी

लेखबद्ध सबूत का रखना बुद्धिमत्ता होगी। विज्ञात और प्रसिद्ध व्यक्तियों के लिए यह आवश्यक नहीं। यथा यदि कोई व्यक्ति कई वर्षों तक समाज का नियमित सदस्य रहा हो तो उसके मामले में यह सिद्ध करना कठिन न होगा कि अपने विवाह के समय आर्यसमाजी था। परन्तु यदि वह नियमित सदस्य न रहा हो तो विवाह के कई वर्षों के पश्चात् यह प्रश्न उठ सकता है कि विवाह के समय वह आर्यसमाजी था या नहीं ? ऐसे मामलों में पहले से लिखित सबूतों का रखना अच्छा होता है परन्तु यह तो केवल किसी प्रकार की तथ्य (fact) की बात है। जहां तक कानून का सम्बन्ध है अपने को आर्यसमाजी उद्घोषित करने वाला व्यक्ति आर्यसमाजी माना जायेगा।

यह स्मरण रखना चाहिए कि इस ऐक्ट के अनुसार, विवाह के समय वर और वधू दोनों का ही आर्यसमाजी होना आवश्यक है। दोनों में से केवल एक का आर्यसमाजी होना पर्याप्त न होगा। इस प्रकार के विवाहों की रक्षा इस ऐक्ट से न होगी।

यह स्पष्ट है कि विवाह करने वाले स्त्री-पुरुष अर्थात् वर और वधू विवाह के समय आर्यसमाजी होने चाहिए जिसका अर्थ यह है कि विवाह संस्कार से पूर्व किसी भी क्षण शुद्धि अथवा अन्य प्रकार से उनको आर्यसमाजी बना हुआ ही होना चाहिए। और ऐसा होने पर उनका विवाह जायज होगा चाहे वे भिन्न जातियों के क्यों न हों। और इस विवाह के एक बार जायज रूप से हो जाने पर विवाह के पश्चात् यदि वर और वधू अपना धर्म भी बदल दें तब भी विवाह जायज बना रहेगा।

(5) अवैध नहीं होगा और न कभी भी अवैध रहा हुआ समझा जायेगा।

धारा में ये शब्द मतलब से रखे गये हैं। इसका अर्थ यह है कि कोई विवाह होने की तिथि से ही जायज हो जाता है न कि इस कानून के पास होने की तिथि से। अतः इस कानून के पास होने के पूर्व के अन्तर्जातीय विवाहों को भी जो आर्यसमाजियों के बीच हुए हैं, यह ऐक्ट जायज बनाता है। यह स्पष्ट है कि इस ऐक्ट का पूर्ववर्ती असर है। प्रारम्भ से ही यह विवाहों को जायज करार देता है। यद्यपि यह ठीक है कि इस कानून के पास होने पर ही विवाह जायज बनता है। यदि इस कानून के अमल में आने से पहले के किसी विवाह के जायज होने का प्रश्न कानून के अमल में आने के पश्चात् उठता है तो वह विवाह जायज समझा जायेगा। परन्तु यदि इस कानून के पास होने से पूर्व किसी विवाह के जायज होने का प्रश्न उठा हो और वह निर्णीत भी हो गया हो तो यह कानून बहुत संभवतः सहायक न होगा। और इस कानून के आधार पर वही प्रश्न कदाचित पुनः न उठाया जा सकेगा।

जिस दिन विवाह हुआ, उसी दिन से विवाह के जायज हो जाने के कारण से इस विवाह से उत्पन्न समस्त बच्चे जन्म से ही जायज हो जाते हैं।

केवल इस बात से कि वे किसी समय हिन्दुओं की भिन्न जाति या उपजाति के थे या कि उनमें से एक या दोनों विवाह से पूर्व किसी समय हिन्दू धर्म से विभिन्न धर्म के थे।

'केवल' शब्द बड़ा महत्त्वपूर्ण है। यह कानून केवल एक कठिनाई को दूर करता है और सिर्फ उसी एक को इससे अधिक नहीं। हिन्दू लॉ के अनुसार- वर और वधू को मजबूरन एक ही जाति या उपजाति का होना चाहिए, यह इसी बाधा को दूर करता है।

ब्रिटिश अदालतों में हिन्दू लॉ की जो व्याख्या की जाती है वह यह है कि जायज विवाह के लिए वर और वधू एक ही जाति के होने चाहिए। यदि वे एक ही जाति के नहीं हैं तो उनके विवाह के जायज होने में आशंका होती है। आर्य मैरिज ऐक्ट के द्वारा इस कठिनाई को दूर करने की योजना की गयी थी और वस्तुतः इस ऐक्ट के बन जाने से वह पूर्णतया दूर भी हो गई है। आर्यसमाजियों का कोई विवाह नाजायज न होगा केवल इसलिए कि वर और वधू एक ही जाति के न थे। विवाह से सम्बन्ध रखने वाली और कोई कठिनाई दूर नहीं की गयी है। अतः आर्य मैरिज ऐक्ट के अनुसार होने वाले विवाह अन्य सब बातों में जायज होने चाहिए।

इस ऐक्ट से केवल अन्तर्जातीय वा अन्तर्उपजातीय विवाह ही जायज होते हैं यह नहीं वरन् शुद्धि के विवाह भी जायज होते हैं। या कि उनमें एक या दो दोनों विवाह से पूर्व किसी समय हिन्दू इतर धर्म (हिन्दू धर्म से विभिन्न धर्म) के थे।

इन शब्दों में शुद्धि के तमाम विवाह आ जाते हैं। यदि वर और वधू में से कोई एक अथवा दोनों विवाह से पहले हिन्दू नहीं थे और यदि विवाह से पूर्व किसी समय हिन्दू धर्म स्वीकार

करके वे आर्यसमाजी बन गये थे, तब इस कानून से उन विवाहों की भी रक्षा होगी परन्तु यह ध्यान में रखना चाहिए कि शुद्धि सदैव विवाह से पहले होनी चाहिए न कि बाद में।

यह नितान्त आवश्यक है कि हिन्दू वर या वधू अपना धर्म विवाह से पहले बदलें। वह चाहे एक क्षण पूर्व ही क्यों न हो परन्तु धर्म परिवर्तन विवाह से पूर्व ही होना चाहिए। यदि विवाह पहले और शुद्धि बाद में हुई तो वह विवाह इस ऐक्ट से जायज न बन सकेगा। इसलिए यह बात सुस्पष्ट ध्यान में रहे कि शुद्धि वाले कुल विवाहों में शुद्धि अर्थात् धर्म परिवर्तन पहले होना चाहिए और विवाह उसके बाद।

परिशिष्ट (1)

आर्यसमाजी की परिभाषा

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा
की
अन्तरंग सभा का निश्चय

आर्य विवाह ऐक्ट के लिए आर्यसमाजी की परिभाषा नियत करने के सम्बन्ध में निश्चय हुआ कि इस सभा की स्थिर सम्मति है कि आर्यसमाज के उपनियमों में आर्य और आर्य सभासद की जो परिभाषा है, वह केवल आर्यसमाज के संगठन के लिए ही है और विस्तृत आर्य जगत् के लिए नहीं है। अतः जो निम्न घोषणाओं पर हस्ताक्षर करेंगे वे आर्य विवाह ऐक्ट की मंशा के भीतर आर्यसमाजी होंगे, इसमें सन्देह नहीं।

नोट : घोषणा पत्र अगले पृष्ठों पर अंकित हैं।

आर्य विवाह ऐक्ट सम्बन्धी

घोषणा पत्र सं0-1

मैं ....पुत्र/पुत्री........................
निवासी/निवासिनी..
तहसील.................................जिला........................
आयु......................व्यवसाय......................................

घोषणा करता/करती हूँ कि मैं आर्यसमाजी हूँ और श्रीयुत्.....
..............................के पुत्र/पुत्री..............................
के साथ जिसकी अवस्था......................की है और जो
आर्यसमाजी हैं विवाह करना चाहता/चाहती हूँ।

....हस्ताक्षर करने वाला/वाली

हमारे सामने उक्त घोषणा की गई और हस्ताक्षर भी हुए।

....

हस्ताक्षर मंत्री हस्ताक्षर प्रधान

आर्यसमाज........................ आर्यसमाज......................
दिनांक.............................. दिनांक.......................
....

हस्ताक्षर अन्य उपस्थित सज्जन गण

घोषणा-पत्र सं0-2

मैं ....पुत्र/पुत्री..................................

निवासी/निवासिनी...

तहसील............................. जिला...........................

आयु............................व्यवसाय................................

घोषण करता/करती हूँ कि तिथि.............................को ..

..................................(स्थान) में शुद्धि कराके मैं आर्यसमाजी हो गया/गयी हूँ। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि शुद्धि से पूर्व मैं..................................था/थी।

हस्ताक्षर..

घोषणा करने वाला/वाली

दिनांक......................................

हमारे सामने उक्त घोषणा की गई और हस्ताक्षर भी हुए।

....

हस्ताक्षर मंत्री हस्ताक्षर प्रधान

आर्यसमाज........................... आर्यसमाज..................

दिनांक.................................दिनांक........................

हस्ताक्षर अन्य उपस्थित सज्जन गण

घोषणा पत्र सं0-3

(1937 से पूर्व हुए विवाहों के लिए)

मैं..................................पुत्र/पुत्री............................
निवासिनी/निवासी.................... डाकघर........................
तहसील..................................जिला.........................
आयु.....................व्यवसाय................................
दिनांक..................................सन्..........................
को श्रीमान्/श्रीमती................................के...............
........पुत्र/पुत्री...आयु.........
व्यवसाय................................के साथ विवाही गयी थी/
विवाहा गया था और यह घोषित करता/करती हूँ कि इस विवाह
से पूर्व और अब भी आर्यसमाजी हूँ।

नोटः इस घोषणा पत्र को लिखते समय की तिथि दें।

स्थान.............................. हस्ताक्षर......................
दिनांक..................................

1. हस्ताक्षर साक्षी...
2. हस्ताक्षर साक्षी...

....

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त घोषणा पत्र सत्य है और उपर्युक्त घोषित विवाह आर्यसमाज...... .... द्वारा सम्पन्न हुआ था।

दिनांक.....................ह0 मंत्री................ह0
प्रधान............. आर्यसमाज.........................

घोषणा पत्र सं0 4

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीयुत्.................................
के सुपुत्र..................................निवास स्थान.............
.... डाकखाना..........................
जिला.......................प्रान्त.....................................
विवाह संस्कार तिथि................................वि0/ई0 को
श्रीयुत्...
...............की सुपुत्री..................................निवास स्थान.
.........................डाकखाना.........................जिला....
.....................प्रान्त........... के आर्यसमाज ....
....में पुरोहित श्री.......
....द्वारा कराया गया।
वर-वधू..के विस्तृत
विवरण इस पत्र के पृष्ठ भाग पर अंकित है।

....

हस्ताक्षर मंत्री हस्ताक्षर प्रधान

आर्यसमाज........................ आर्यसमाज.................

.....दिनांक.............................. दिनांक...........

हस्ताक्षर.......................

पुरोहित आर्यसमाज...

दिनांक..

नोट :- इस प्रमाणपत्र की 1 प्रति आर्यसमाज की फाइल में रहेगी और दूसरी प्रति वर-वधू को दी जायेगी।

परिशिष्ट (2)

(मूल बिल माननीय श्री घनश्याम सिंह जी द्वारा प्रस्तुत)

A BILL TO

Recognise and remove doubts as to the validity of inter-Marriages current among Arya Samajists.

Whereas it is expedient to recognise and place beyond doubt the validity of inter-marriages of Arya Samajists, It is hereby enacted as follows:-

(1) This Act may be called the Arya title Marriage Validation Act, 1935 and extent.

(2) It shall apply to the whole of British India and shall apply to all cases that may come up for decision after the passing of this Act whether the marriage in question took place before or after the passing of this Act.

2. For the purpose of this Act 'Arya Samajist' Definition means a person who:-

(a) is a member of any Arya Samaj; or

(b) within five years of the passing of this Act

or within one year of his marriage (which ever period expires last) executes a written document declaring himself to be an thereto;

(c) is a member of the family of, or relative dependent on, or person under the guardianship of, person mentioned in clause (a) or clause (b).

Explanation- Where a document mentioned in clause (b) of section 2 is registered under the Indian Registraton Act 1908 , it shall be conclusive evidence of the fact of his being an Arya Samajist and no evidence shall be admissible to prove the contrary.

3. No marriage between Arya Samajists shall be invalid or shall be deemed ever to have been invalid by reason of the parties having belonged to different castes or sub-castes of Hindus or to different religions, any law or usage or custom to the contrary notwithstanding.

4. For purposes of succession all inter marriages referred to in section 3 of this act shall be deemed to marriages between persons of the same caste of (Dwijas) the twice born Hindus.

परिशिष्ट (३)

(मूल बिल श्री चौधरी मुख्तारसिंह जी द्वारा प्रस्तुत)

Arya Marrige Validation Bill

Whereas it is expedient that inter marriages amongst Arya Samajists may be legalised and their validity placed beyond doubt it is enacted as follows:-

1. This Act shall be called "The Arya Marriage Validation Act."

2. It shall apply to the whole of British India.

3. No marriage among the Arya Samajists shall be invalid on the ground that the husband and wife belonged before becoming Arya Samajists to different castes or sub-castes of Hindus or to different religions, any law or usage or custom to the contrary notwithstanding.

   Provided the parties must not be related to each other in any degree of consanguinity or affinity which would, according to the Laws of Manu render a marriage between them illegal.

4. For the purposes of this act an Arya

Samajist shall mean a person whose name is borne on the register of members of an Arya Samaj affiliated to the Arya Sarvadeshik Sabha or to any of the Provincial Arya Representative Assemblies (by whatever name they be known) existing at present in any province or part of province or which may here after be established and registered according to law, and shall include members of his or her family and such relations as are dependent on him on the aforesaid register.

Statement of objects and reasons

As the Arya Samajists who form quite an appreciable number of the Indian population conscientiously believe that the present caste system is not in accordance with their scriptures, the Vedas, and as according to the law as administered at present marriages among couples belonging to different castes or sub-castes are considered invalid and there is fear of the issue of such marriages being declared illegitimate as quite a large number of such marriages have taken place and more would have taken place had there been no such obstacles. it is necessary to have a law which would give relief to the Arya Samajists. Hence the above short law is proposed.